STATEMENTS BY MINISTERS

Status of Inplementation of Recommendations Contained in 152nd Report of the Parliamentary Standing Committee on Industry

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : माननीय उपसभापति जी, मैं राज्य सभा के निदेश तथा राज्य सभा बुलेटिन भाग -II दिनांक 28 सितंबर, 2004 में दी गई राज्य सभा की कार्यविधि के नियमों और कार्रवाई संचालन के प्रावधानों के अनुपालन में, उद्योग संबंधी संसदीय स्थायी समिति की 152वीं रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर यह वक्तव्य दे रहा हूं।

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की अनुदान मांग, 2004-05 पर स्थायी समिति की 152वीं रिपोर्ट राज्य सभा को 26 अगस्त, 2004 को प्रस्तुत की गई थी।

रिपोर्ट की प्रत्येक सिफारिशों/ अवलोकनों पर गई कार्रवाही से संबंधित विस्तृत कार्रवाई टिप्पणी समिति के सचिवालय को 24 मार्च, 2005 को प्रस्तुत की गई। उक्त रिपोर्ट में समिति द्वारा 31 सिफारिशें/अवलोकन किए गए हैं, जहां सरकार की ओर से कार्रवाई की जानी है। ये दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की योजनाओं के अंतर्गत रोजगार सृजन के लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धि, मंत्रालय की योजनाओं/ नीतियों के कार्यान्वयन, सिक्किम समेत पूर्वोत्तर राज्यों में परियोजनाओं के लिए प्रावधान, खादी और ग्रामोद्योग आयोग(केवीआईसी), कयर बोर्ड तथा प्रधानमंत्री रोजगार योजना के विभिन्न विषय, वैश्वीकरण/उदारीकरण का कृषि एवं ग्रामीण उद्योग क्षेत्र पर प्रभाव तथा इस क्षेत्र से जुड़े ऋण के मामले इनसे संबंधित हैं। इस रिपोर्ट में दी गई कुछ सिफारिशें वित्त, विपणन, मानव संसाधन विकास, अनुसंधान और विकास, रुग्ण खादी संस्थानों का पुनरुत्थान, विपणन बिक्री केन्द्रों के नवीनीकरण/ आधुनिकीकरण, पारम्परिक उद्योगों के आधुनिकीकरण और पुनरुत्थान आदि क्षेत्रों में श्रेष्ठ पेशेवर कार्यशैली का समावेश करते हुए खादी और ग्रामीण उद्योग क्षेत्र को अधिक से अधिक युक्तिसंगत तथा मजबूत करने से भी संबंधित हैं।

महोदय, समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति मेरे वक्तव्य के अनुबंध में दर्शाई गई है, जिसे सदन के सभा पटल पर रख दिया गया है। मैं सदन के मूल्यवान समय को इस अनुबंध की पूरी विषय-वस्तु को पढ़ने के लिए नहीं लेना चाहूंगा। मैं अनुरोध करूंगा कि इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

[Placed in Library. *See* No. L.T. 2344/05]

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House stands adjourned to meet tomorrow at 11.00 A.M.

The House then adjourned at five minutes past five of the clock till eleven of the clock on Friday, the 29th July, 2005.

MGIPMRND—3036RS—07-11-2005